अत्यावश्यक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– मिस.9/अनु.8/डी– 325 दिनांक :– 8/5/17

परिपत्र

विषय :– विभागीय जांच, शिकायतों, लोकायुक्त प्रकरणों एवं जांच से सम्बन्धित समस्त प्रकरणो के त्वरित निस्तारण बाबत।

विभागीय जांच, शिकायतों, लोकायुक्त प्रकरणों एवं जांच से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाएं, अभिलेख एवं टिप्पणीयां सम्बन्धित संभाग/कार्यालयो से प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय द्वारा लगातार पत्राचार के उपरान्त भी यथासमय प्राप्त नही होने से राज्य सरकार को प्रेषित करने में न केवल विलम्ब होता है वरन प्रकरणों के निरस्तारण में अत्यधिक समय व संसाधन भी लगते है। अनेक प्रकरणों में अर्द्धशासकीय पत्र एवं कारण बताओ नोटिस का का भी प्रत्युत्तर नही दिया जाता है, यह स्थिति गंभीर है।

सूचना समय पर प्राप्त नही होने के कारण मीटिंगो में अनेक बार उच्चाधिकारियों द्वारा न केवल नाराजगी व्यक्त की जाती है वरन विभागीय अधिकारियों को असमंजसपूर्ण स्थिति का सामना भी करना पडता है एवं विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव भी पडता है।

अतः उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा पत्र लिखने के पश्चात वांछित सूचना प्राप्त नही होने पर स्मरण पत्र एवं तत्पश्चात अर्द्धशासकीय पत्र जारी करने के उपरान्त भी सम्बन्धित अधिकारी से परिपूर्ण सूचनाए प्राप्त नही होती हैं तो उनके विरूद्ध राजकीय निर्देशों की अवहेलना के लिए सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

पूर्व निर्देशानुसार संभाग स्तर पर शिकायतों का रजिस्टर संधारित कर समस्त जांच प्रकरणों की मोनिटरिंग भी सुनिश्चित की जावे। प्रायः यह भी पाया गया है कि संभाग कार्यालय पत्रो को अधीनस्थ कार्यालयों को भेजते हुए प्रतिलिपि इस कार्यालय को पृष्ठांकित कर दी जाती है, जिसका कोई औचित्य नही होता है। अतः इस परिपाटी को बन्द कर केवल अन्तिम सूचना स्वयं के स्तर पर प्राप्त कर टिप्पणी सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जावे।

उक्त निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

Sd/–
(शिव लहरी शर्मा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, सानिवि, राज0 जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लि. जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता, सानिवि, संभाग समस्त (सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक सहित), सानिवि। (Rgd. AD)
4. अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक–प्रथम, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सानिवि, जयपुर
5. डिलिंग सहायक समस्त–जांच अनुभाग, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सानिवि, जयपुर।
6. सिस्टम एनेलिस्ट, सानिवि, जयपुर को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

मुख्य अभियन्ता एवं अति सचिव

D:\Letters-13\Orders